19/12/24।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त पत्र
उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी मौका रिपोर्ट किया जाकर
हेतु विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर
शामिल किया जाकर [illegible] कर दी।
निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2021/201

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:58 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

गुरमेल सिंह बनाम अमरीक सिंह व अन्य

किस्म मुकदमाः– 251–क आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्याः– 96/2021 (GCMS No. 2021/201)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 19 एल0जी0डब्लयू–ए के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 17 नई 11 पुरानी में मु0न0 8 पत्थर नं. 19/290 कि0न0 1 ता 18 की 4.554 हैक्टर नहरी, 19/1 की 0.228 नहरी, 20 की 0.253 हैक्टर नहरी, 21/1 की 0.025 नहरी कुल 5.060 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम से चक 19 एल0जी0डब्लयू0–ए तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 खाता संख्या 2 नई 3 पुरानी में मु0न0 17 पत्थर नं. 19/291 कि0न0 1/1 की 0.013 हैक्टर नहरी व 10/2 की 0.012 नहरी कुल 0.025 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 3/25 हिस्सा, अप्राथी संख्या 2 के नाम से 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से 4/25 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से 3/25 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 के नाम से 1/25 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से 4/25 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से 4/25 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 8 के नाम से 1/25 हिस्सा अंकित है। उक्त मद सं. 2 में अंकित खातेदारी कृषि भूमि में काश्त करने के लिए चक 19 एल0जी0डब्लयू0–ए के मु0न0 18 प0न0 20/291 के कि0न0 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 इन प्रत्येक किलाजात में 0.025 हैक्टर कुल 0.125 हैक्टर गै0मु0रास्ता स्वीकृतशुदा (पश्चिम से पूर्व दिशा में) व कि0न0 5/3 में 0.025 हैक्टर खाला पर इसके उत्तरी दिशा में कोना में बनी पक्की पुलिया से गुजर कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम से प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में अंकित खातेदारी कृषि भूमि मु0न0 17 पत्थर नं. 19/291 के कि0न0 1/1 की 0.013 हैक्टर नहरी में से पैमुदा 8.48 फुट X 16.30 फुट कुल 138.224 वर्गफुट यानि 0.0013 हैक्टर नहरी (इस किले के उत्तरी पासा में) होकर अपनी भूमि में आवागमन करते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जावें। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि पत्थर नं. 20/291 के किला नं. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 में गै0मु0 रास्ता स्वीकृत है। परन्तु प्रार्थी द्वारा कभी भी इस रास्ता से आवागमन नही किया गया है। यदि फिर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की खातेदारी भूमि की एवज में प्रार्थी की खातेदारी भूमि से भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज की जावें। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी के नाम अंकित रकबा को मुताबिक रिकार्ड रास्ता लगना प्रतीत नही होता है। इसलिये प्रार्थी के रकबा में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना एवं उक्त रास्ता की एवज में रकबा दिया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा तहसील सूरतगढ़ के चक 19 एल0जी0डब्लयू–ए के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 17 नई 11 पुरानी में मु0न0 8 पत्थर नं. 19/290 कि0न0 1 ता 18 की 4.554 हैक्टर नहरी, 19/1 की 0.228 नहरी, 20 की 0.253 हैक्टर नहरी, 21/1 की 0.025 नहरी कुल 5.060 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 (अमरीक सिंह वगैरा) की खातेदारी कृषि भूमि मु0न0 17 पत्थर नं. 19/291 के कि0न0 1/1 की 0.013 हैक्टर नहरी में से पैमुदा 8.48 फुट X 16.30 फुट कुल 138.224 वर्गफुट यानि 0.0013 हैक्टर नहरी (इस किले के उत्तरी पासा में) भूमि [illegible] स्वीकृत किया जाता हैं। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया [illegible]वें। [illegible] स्वीकृत रास्ता 0.0013 हैक्टर भूमि की एवज में प्रार्थी गुरमेल सिंह के नाम [illegible] खातेदारी भूमि चक 19 एल0जी0डब्लयू–ए के पत्थर नं. 19/290 (8) के [illegible] नं. 2 में 0.0013 हैक्टर (उत्तरी पासा में पूर्व से पश्चिम) रकबा अप्रार्थी संख्या 2–3–6–7 के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार [illegible]व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar

Date: 2024.12.19 13:06:58 IST

Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक / राजस्व / प्रा.पत्र / 96 / 2021 / 12.12.2024 / 9106 दिनांकः– 12.12.2024

17

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषय :– राजस्व प्रा.पत्र संख्या 96 / 2021 अनवान गुरमेल सिंह बनाम अमरीक सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए. में पारित निर्णय दि. 12.12.2024 की पालना करने के संबंध में।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा तहसील सूरतगढ़ के चक 19 एल0जी0डब्लयू–ए के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 17 नई 11 पुरानी में मु0न0 8 पत्थर नं. 19 / 290 कि0न0 1 ता 18 की 4.554 हैक्टर नहरी, 19 / 1 की 0.228 नहरी, 20 की 0.253 हैक्टर नहरी, 21 / 1 की 0.025 नहरी कुल 5.060 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 (अमरीक सिंह वगैरा) की खातेदारी कृषि भूमि मु0न0 17 पत्थर नं. 19 / 291 के कि0न0 1 / 1 की 0.013 हैक्टर नहरी में से पैमुदा 8.48 फुट X 16.30 फुट कुल 138.224 वर्गफुट यानि 0.0013 हैक्टर नहरी (इस किले के उत्तरी पासा में) भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। जिसे राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावें। उक्त स्वीकृत रास्ता 0.0013 हैक्टर भूमि की एवज में प्रार्थी गुरमेल सिंह के नाम अंकित खातेदारी भूमि चक 19 एल0जी0डब्लयू–ए के पत्थर नं. 19 / 290 (8) के किला नं. 2 में 0.0013 हैक्टर (उत्तरी पासा में पूर्व से पश्चिम) रकबा अप्रार्थी संख्या 2–3–6–7 के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी के नाम रहन रकबा उसकी शेष भूमि पर बदस्तुतर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:58 IST
Reason: SelfAttested